

पश्चिमी घाट: महत्त्व और संरक्षण

यह एडिटरियल 03/01/2022 को 'हदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "Why There Should Be No Delay In Protecting The Western Ghats" लेख पर आधारित है। इसमें पश्चिमी घाट के समक्ष मौजूद खतरों और इसे पारस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित किये जाने के नहितार्थों के संबंध में चर्चा की गई है।

संदर्भ

वभिन्न अध्ययनों और IPCC रिपोर्टों के आधार पर जलवायु संकट और चरम मौसमी घटनाओं (जैसे बादल फटना और फ्लैश फ्लड) के बीच की कड़ी को अब अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

अंधाधुंध नरिमाण और भूमि उपयोग ने इन सभी प्रभावों को और अधिक बढ़ा दिया है; विशेष रूप से पश्चिमी घाट जैसे पारस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ये प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टगोचर होते हैं।

कति वजिज्ञानसम्मत साक्ष्यों के बावजूद पश्चिमी घाट क्षेत्र, विशेष रूप से इस क्षेत्र में भूमि उपयोग के बाबत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उपेक्षापूर्ण ही बनी रही हैं।

पश्चिमी घाट

- **परिचय:** पश्चिमी घाट पहाड़ों की एक शृंखला से मलिकर बना है जो भारत के पश्चिमी तट (Western Coast) के समानांतर वसित है और केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरता है।
- **महत्त्व:**
 - पश्चिमी घाट भारतीय मानसून के मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं जो इस क्षेत्र की गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु से संबंधित हैं।
 - वे दक्षिण-पश्चिम से आने वाली वर्षा-युक्त मानसूनी हवाओं के लिये एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं।
 - पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ-साथ विश्व स्तर पर संकटग्रस्त 325 प्रजातियों का नविस स्थान भी हैं।
- **पश्चिमी घाट पर मंडराते खतरे:**
 - **विकास-संबंधी दबाव:** कृषिविस्तार और पशुधन चराई के साथ-साथ शहरीकरण इस क्षेत्र के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है।
 - पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगभग 50 मिलियन लोग वास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे विकास-संबंधी दबाव का नरिमाण होता है जो परिमाण में विश्व भर के कई संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है।
 - **जैव विविधता संबंधी समस्याएँ:** वन कृषि, पर्यावास वखिंडन, आक्रामक पादप प्रजातियों द्वारा पर्यावास क्षरण, अतिक्रमण और भूदृश्य रूपांतरण भी पश्चिमी घाट को प्रभावित कर रहे हैं।
 - पश्चिमी घाट में विकास के दबाव के कारण होने वाले वखिंडन से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव गलियारों और उपयुक्त पर्यावासों की उपलब्धता कम हो रही है।
 - **जलवायु परिवर्तन:** बीते कुछ वर्षों में जलवायु संकट की गति तेज़ हुई है:
 - पछिले चार वर्षों (2018-21) में बाढ़ ने केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्रों को तीन बार तबाह किया है जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और आधारभूत संरचना एवं आजीविका को भारी आघात लगा।
 - वर्ष 2021 में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड ने कोंकण के घाट क्षेत्रों में तबाही मचाई।
 - अरब सागर के गर्म होने के साथ चक्रवातों की तीव्रता में भी वृद्धि हो रही है, जिससे पश्चिमी तट विशेष रूप से सुभेद्य होते जा रहे हैं।
 - **औद्योगिकरण संबंधी खतरे:** पश्चिमी घाट के संबंध में एक सुवचारित ESA नीतिके अभाव में इस क्षेत्र में अधिकाधिक प्रदूषणकारी उद्योगों, खदानों एवं खानों, सड़कों और टाउनशिप की योजना बनाई जा सकती है।
 - इसका आशय है कि भविष्य में इस क्षेत्र के नाजुक भूदृश्य को और अधिक क्षति पहुँचेगी।
- **पश्चिमी घाट संबंधी समतियाँ:**
 - **गाडगलि समिति (2011):** आधिकारिक तौर पर पश्चिमी घाट पारस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) के रूप में ज्ञात गाडगलि समिति ने समस्त पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (Ecological Sensitive Areas- ESA) घोषित करने की अनुशंसा

की थी, जहाँ केवल कुछ चहिनति क्षेत्रों में सीमति वकिस की ही अनुमति हो।

- **कस्तूरीरंगन समति (2013):** इसने गाडगलि रपिर्ट दवारा प्रस्तावति प्रणाली के वपिरीत वकिस और पर्यावरण संरक्षण को संतुलति रखने का प्रस्ताव कथि।
 - कस्तूरीरंगन समतिने सफिरशि की कपिश्चमी घाट के समस्त भाग के बजाय कुल क्षेत्रफल के केवल 37% को ESA के दायरे में लाया जाना चाहिये और ESA में खनन, उत्खनन, रेत खनन जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध हो।
- **पश्चिमी घाट ESA घोषणा में प्रक्रियात्मक वलिंब:**
 - केंद्र ने वर्ष 2011 से 'पश्चिमी घाट ESA अधिसूचना' को लंबति बनाए रखा है।
 - कस्तूरीरंगन समति की सफिरशों के बाद से चार मसौदा अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं, लेकनि कोई परिणाम सामने नहीं आया।
 - अभी हाल में केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट ESA अधिसूचना 2018 के मसौदे को अधिसूचति कथि जाने की समय-सीमा को 30 जून, 2022 तक के लिये बढ़ा दिया है।
 - जबकि छह महीने का यह वसितार असंगत नज़र आ सकता है, पश्चिमी घाट ESA नीति का कार्यान्वयन अब 10 वर्षों से अधिक समय से लंबति रहने की सीमा को पार कर गया है।
 - यद्यपि केंद्र सरकार का इरादा पर्वत शृंखला क्षेत्र के लगभग 37% भाग में औद्योगिक और वकिस-संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधति या नयितरति करना है, वभिन्नि पश्चिमी घाट राज्य ऐसी कई बाधाओं का वरिध कर रहे हैं।

आगे की राह

- **नवारक दृष्टिकोण:** सभी लोगों की आजीविका को प्रभावति करने और देश की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँचाने वाले जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नाजुक व संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना वकिकपूर्ण होगा।
 - यह पुनरस्थापन/पुनरुद्धार के लिये धन/संसाधनों के व्यय की तुलना में आपदाओं की संभावना वाली स्थिति पर खर्च के दृष्टिकोण से अधिक लागत-प्रभावी होगा।
 - इस प्रकार, कार्यान्वयन में और देरी से देश के सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन का क्षरण और प्रबल ही होगा।
- **सभी हतिधारकों को संलग्न करना:** वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारति एक उपयुक्त वश्लेषण के साथ संबधति चिंताओं को संबधति करते हुए वभिन्नि हतिधारकों के बीच आम सहमति का निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता है।
 - वन भूमि, उत्पादों और सेवाओं पर मंडराते खतरों और मांगों पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए इन्हें संबधति करने के लिये रणनीति (संलग्न अधिकारियों के स्पष्ट घोषति उद्देश्यों के साथ) रणनीति तैयार की जानी चाहिये।
- **स्थानीय लोगों की चिंताओं को संबधति करना:** तर्क दिया जाता है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में गतिविधियों को सीमति और नयितरति करने का वचिर स्वाभाविक रूप से स्थानीय लोगों और उनकी वकिसात्मक आकांक्षाओं के वरिद्ध है।
 - कति, संभव है कि बहुत से स्थानीय लोग अवगत ही नहीं हों कि ESA में क्या प्रावधान कथि गए हैं; क्या यह क्षेत्र में वकिस को पटरी से उतार देगा और वकिस के अन्य वैकल्पिक मॉडल कौन से हैं।
 - इस वषिय पर वसितृत सारवजनिक परामर्श के माध्यम से चर्चा की जा सकती है ताकि यह भ्रम न बने कि नीति 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण की शकार है।
- **राज्य सरकारों की भूमिका:** राज्यों को पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने के खतरों को चहिनति करना चाहिये, वशिषकर जब भारत जलवायु संकट का खामयाज़ा भुगत रहा है।
 - उन्हें यह समझना होगा कि जलवायु संकट एक वास्तविकता है और मूल्यवान पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिये नरिणयकारी प्रक्रिया को टालते रहने के बजाय उन्हें अधिकाधिक नरिणायक जलवायु-सिद्धिकारी कारवाइयों पर आगे बढ़ना चाहिये।
- **स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:** WGEEP ने इस बात पर बल दिया था कि वे ज़मीनी स्तर के लोग हैं जिनके पास ज्ञान है और जो पर्यावरण से जुड़े हैं और उनके पास ही इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये प्रेरणा मौजूद होनी चाहिये।
 - आगे की राह वास्तविक लोकतांत्रिक वकिंद्रीकरण और ग्रामों एवं शहरों में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में नहिति है।
 - पश्चिमी घाट क्षेत्र के लोगों ने पूर्व में कई प्रगतशील पहलों (जैसे केरल में पीपल्स प्लानिंग कैम्पेन) को शुरू कथि है। संसाधनों के क्षय और दोहन को रोकने के लिये इस तरह के आंदोलनों की भावना को पुनर्बहाल कथि जाना चाहिये।

नषिकर्ष

- पश्चिमी घाटों की रक्षा की आवश्यकता पर कोई दो मत नहीं है, लेकनि वनों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की आजीविका के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की भी आवश्यकता है।
- यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि पश्चिमी घाट या कसि भी प्राकृतिक संसाधन पर केवल हमारा हक नहीं है कि हम उसे नष्ट कर दें। इसे भावी पीढ़ी के लिये सुरक्षति रखना हम सभी का कर्तव्य है।

अभ्यास प्रश्न: "वनों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की आजीविका के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।" पश्चिमी घाट के समक्ष मौजूद खतरों के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिये।

